संख्या- 27/2016/185 /एक-6-2016-135(10)/2001

प्रेषक,

डी0के0 सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 28 अप्रैल, 2016**

विषय: श्रीमती कमलेश सूरी एवं श्री विवेकानन्द, निजी सचिव, श्रेणी-1 के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने के पश्चात सेवाये सन्तोष जनक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 201-आर/1-436ई, दिनांक 08-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 राजस्व परिषद, निजी सचिव (विशेष श्रेणी) और निजी सचिव (श्रेणी-1) सेवा नियमावली, 1997 तथा उ0प्र0 राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 1991 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने के पश्चात सेवायें सन्तोष जनक घोषित किये जाने की व्यवस्था है।

3- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त सेवा नियमावली, 1997 के प्रस्तर-11 में परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक प्राविधान दिये गये हैं। इसके अलावा स्थायीकरण नियमावली, 1991 के नियम 4-5 के अन्तर्गत भी स्थायीकरण किये जाने के सम्बन्ध में उल्लेख है। इन नियमों में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने के पश्चात शासन द्वारा संतोषजनक सेवाये घोषित की जायें। उक्त सेवा नियमावली के नियम-11 में यह प्राविधान है कि सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी किये जाने की घोषणा की जा सकती है। स्थायीकरण नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उक्त कार्मिकों को स्थायीकरण किये जाने की आवश्यकता है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में राजस्व परिषद की सुस्पष्ट संस्तुति अपेक्षित है।

4- अत: आपसे अनुरोध है कि नियमों के आलोक में प्रकरण का विधिवत परीक्षण कराते हुए अपनी सुस्पष्ट संस्तुति सहित सुविचारित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0के0 सिंह)
सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

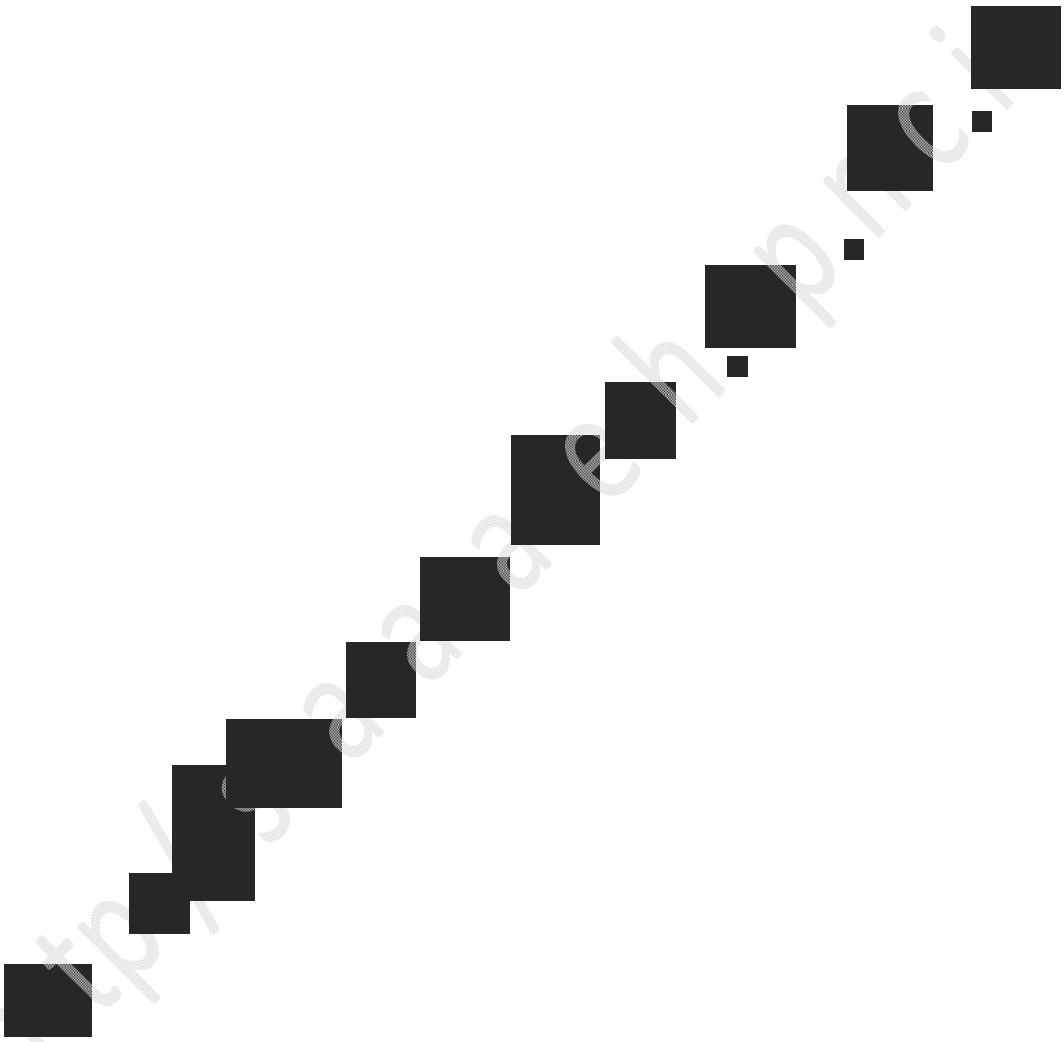

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।